न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारी– नरेश कुमार शर्मा
आई0ए0एस0
राजस्व अपील सं0 81/2017

1. हीरालाल पुत्र श्रीनारायण
2. कैलाश पुत्र श्रीनारायण
3. रंगलाल पुत्र श्रीनारायण
4. सुरज्ञान पुत्र रामकरण समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम खुरीखुर्द तहसील व जिला दौसा ...अपी0

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, तहसील दौसा ...रेस्पो0

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 02.08.2017
व न्यायालय नायब तहसीलदार, दौसा

उपस्थित : 1.श्री विश्राम गुर्जर अधिवक्ता अपीलांट
2.श्री चंद्र शेखर शर्मा राजकीय अधिवक्ता, पैरोकार सरकार

निर्णय **दिनांक 20.12.17**

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार, दौसा ने दिनाक 02.08.2017 को ग्राम खुरीखुर्द तहसील दौसा के आ0ख0 न0 289 रकबा 0.06 है0 किस्म जमीन चरागह पर अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली एवं पेनल्टी एवं 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पो0 को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई । बहस सुनी गई ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील है कि पटवारी हल्का द्वारा निहायत झूँठी रिपोर्ट की है। अपीलांट को साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना एवं बिना मौके की जॉच किये बिना इकतरफा में निर्णय पारित किया है। अपीलांट द्वारा स्वयं की खातेदारी भूमि में मकान व पाटोल बना रखे है। पास में ही चरागाह भूमि है। पटवारी हल्का द्वारा विवादित भूमि का सीमाज्ञान नहीं किया गया। सीमाज्ञान की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। यदि विवादित भूमि पर कोई अतिक्रमण पाया जाता है, तो अपीलांट हटाने को तैयार है, बशर्त कि सीमाज्ञान से पुष्टि हो। कानूनन अपीलांट को नोटिस जारी किया जाकर सुनवाई का अवसर दिया जाकर आदेश पारित करना चाहिए किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि प्रकिया का पालना नहीं करते हुए इकतरफा पक्षपातपूर्ण आदेश पारित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरुद्व एवं तथ्यों कि विपरीत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें।

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर गिरदावर हल्का से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अपीलांट स्वयं नियत दिनांक को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए है। अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अपीलांट की भूमि के पास चरागाह भूमि है, तो वे स्वयं सीमाज्ञान करवाने हेतु स्वतंत्र है, उनको विवादित भूमि की सीमाज्ञान करवाकर प्रस्तुत करनी चाहिए जिससे स्थिति स्पष्ट हो जाती। पटवारी हल्का द्वारा रिकॉर्ड के अनुसार चरागाह भूमि होने पर ही अपीलांट के विरुद्ध अतिक्रमण की रिपोर्ट पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें ।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जॉच गिरदावर हल्का से करवाई गई । गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों एवं लिखित बहस पर गौर किया गया। अपीलांट द्वारा पटवारी हल्का की झूँठी रिपोर्ट का कथन उचित प्रतीत नहीं होता है। अपी0 को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया नोटिस बाद तामिल संलग्न पत्रावली है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में स्वयं उपस्थित हुए है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका पर अपीलांट्स के हस्ताक्षर मौजूद है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का यह कथन उचित नही है कि उनको सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर नही दिया गया । पटवारी हल्का की रिपोर्ट में " पुख्ता मकान पाटोल" अंकित कर अतिक्रमण करना बताया है। साथ ही रिपोर्ट की कैफियत में पश्चातवर्ती अतिक्रमी बताया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट राजकीय चरागाह भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। मौके की सीमाज्ञान के लिए अपीलांट स्वयं स्वतंत्र है और जब वे स्वयं आश्वस्त है कि उनका मकान आदि खातेदारी भूमि में है, तो उनको सीमाज्ञान स्वयं को ही करवाकर न्यायालय के समक्ष पेश करना चाहिए जिससे स्थिति स्पष्ट हो जाती । किंतु ऐसा नहीं कर उन्होंने न्यायालय के समक्ष कोई ठोस सबूत पेश नहीं किये। एक तरफ अतिक्रमण होने की स्थिति में हटा लेने बाबत अपनी लिखित बहस में कहकर आये है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अभी तक वे स्वयं भी आराजी की मौके की स्थिति से स्पष्ट नहीं है। मात्र कयास के आधार पर या जानबूझकर उक्त बात कही गई है। अपीलांट अपनी बात कहने में असफल रहे है। कार्यवाही से बचने के लिए स्वयं की भूमि होना बता रहे है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित भिजवाई जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 20 दिसम्बर, 2017 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा